

## कार्यालय प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश

27-28, निर्माण भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)

Website : www.mppwd.gov.in

Email : pwdbhop@mp.nic.in

— Telephone No. -0755-2551485 Fax No. - 0755-2556527 —

क्रमांक/लोनवि/संचार/2015/1793

भोपाल दिनांक -04-07-2015

प्रति,

मुख्य अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
सेतु परिक्षेत्र भोपाल।

विषय:- प्रदेश में वृहद पुलों के निर्माण के संबंध में ।

--0--

प्रदेश में पुलों के निर्माण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

पुलों का निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली सड़क पर ही किया जाये। यदि किसी अपरिहार्य स्थिति में किसी अन्य विभाग की सड़क पर पुल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हो तो इस संबंध में मुख्य अभियंता प्राक्कलन/ प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में शासन से लिखित में तत्संबंधी निर्देश प्राप्त करेंगे।

2. आर ओ बी / आर यू बी के संबंध में उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 में दर्शाया गया प्रावधान लागू नहीं होगा।

3. ग्रामीण मार्गों पर जहां पर वृहद पुलों का निर्माण आवश्यक है वहां पर (Low Level Vented Causway) लो लेवल वेंटेड काजवे ही बनाये जायें। यह स्पष्ट किया जाता है कि लो लेवल वेंटेड काजवे से तात्पर्य केवल हयुम पाईप वेंटेड काजवे नहीं है। यदि किसी स्थान विशेष पर मार्ग की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये उच्च स्तरीय/ जलमग्नीय पुल का निर्माण आवश्यक हो तो ऐसे प्रकरणों में मुख्य अभियंता स्वयं कार्य स्थल का निरीक्षण कर उच्च स्तरीय/ जलमग्नीय पुल के निर्माण के संबंध में निर्णय लेंगे। मुख्य अभियंता ऐसे प्रकरणों में लिखित में विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुये प्रकरण स्वयं एसएफसी/ईएफसी/पीएससी की बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

( इंजी. अखिलेश अग्रवाल )

प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांक/लोनिकि/संचार/2015/1794

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र मध्यप्रदेश।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग, मण्डल मध्यप्रदेश।
5. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, संभाग मध्यप्रदेश।

( इंजी. अखिलेश अग्रवाल )  
प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश